29/11/24

वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली बारम्बार लौटाकर स्थगित। प्रार्थी की ओर से बार-बार निर्देश देने के बावजूद असाधारण की तलबी हेतु नोटिस पेश नहीं किए हैं। प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। अतः प्रकरण प्रार्थी आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर न्यायालय कक्ष से कार्य पालना डायरी में दर्ज हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)